कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 219/22

तारीख -

श्री तिलस्वां महादेव मूर्ति स्थान तिलस्वां जरिये संरक्षक श्री तिलस्वां महादेव मंदिर ट्रस्ट तिलस्वा सचिव मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. मदनलाल पुत्र श्रीलाल जाति तेली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
02. रतनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति लखारा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. गोपाल लाल पुत्र श्रीलाल जाति तेली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला ‍ीलवाडा (राज0)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांकः 30.5.2022

प्रार्थना पत्र श्री तिलस्वां महादेव मूर्ति स्थान तिलस्वां जरिये संरक्षक श्री तिलस्वां महादेव मंदिर ट्रस्ट तिलस्वां सचिव मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 325 पर अंकित आराजी संख्या 455 रकबा 0.2347 हैक्टेयर भूमि सामलाती** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **कास्यां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 325 पर अंकित आराजी संख्या 455 रकबा 0.2347 हैक्टेयर भूमि सामलाती** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ